रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3723] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940
No. 3723] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2018

का.आ. 4890(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 505 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप/सुक्षाव प्राप्त नही हुए हैं;

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा के पांच जिलों में स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 2073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जबकि प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 239.41 वर्ग किलोमीटर है;

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव जीवजंतु की अच्छी विविधता है जिसमें स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 373 प्रजातियां, सरीसृपों की 36 प्रजातियां; उभयचरों की 10 प्रजातियां और मछलियों की 79 प्रजातियां सम्मिलित हैं। अभयारण्य स्मौथ-कोअटेड ओट्टर (लुटरोगले पेरस्पिकिल्लाटा), *डाल्फिन* (पलाटानिस्टा गंगेटीका), *स्वाम्प डीयर* (रूकेरवुस दुवाउकेली), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), काला हिरन (अंटीलोपे केरविकपरा), *भारतीय काला कछुआ* (मेलानोचेल्यस टरीजुगा), *ब्लैक पोंड कछुआ* (गेओकलेम्यस हमिलटोनि), *करोवनेड रिवेर कछुआ* (हरदेल्ला थुरजी), *ब्राउन रौफेड कछुआ* (पंगज़हुरा स्मिथि), *इंडियन रौफेड कछुआ* (पंगस्हुरा टेकटा), *इंडियन टेंट कछुआ* (पंगस्हुरा टेंटोरिया), *थ्री-स्टरीपेड रौफेड कछुआ* (बटगुर धोंगोका), *रेड-करोवनेड रौफेड कछुआ* (बटगुर कचुगा), *इंडियन फलाप सैल्ल कछुआ*

(लिस्सेम्यस पुंकटटे), *इंडियन सोफ्ट*-सेल्ल *कछुआ* (निलस्सोनिया गंगेटिका), *इंडियन पिकोक सोफ्ट*-सेल्ल *कछुआ* (निलस्सोनिया हुरूम), *इंडियन नरोंक*-हेअडेड सोफ्ट-सेल्ल *कछुआ* (चितरा इंडिका), *घरियाल* (गविअलिस गंगेटीकुस), *मुग्गेर* (करोकोडयलुस पलुस्टरिस), *सारस* (गरूस अंटीगोने), *रिवर ट्रन*(स्टेर्ना अयरंटिका), *इगयपटिअन गिद्ध* (नेओफरोन *पेरकनोपटेरूस*), *डरटेर* (अंहिंगा *मेलानोगस्टेर*), *ब्लैक*-हेअडेडलबिस (थरेस्किआरनिस मेलानोकेफलुस), *पिंटेड स्ट्रोक*(मयकटेरिया लेउकोकेफला), *इंडियन स्किम्मेर* (रयंचोपस अल्बिकोल्लिस), *ब्लैक*-बेल्लीड ट्रन (स्टेरना अकुटीकाउदा), *शिकरा* (अक्किपिटेर बदीउस), *गोल्डन महस्सेर* (टोर *पुटिटोरा*), *जमुनाइलिया*(अइलीचथयस्पुंकटाटा) आदि का महत्त्वपूर्ण वास है।

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य से 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां प्रतिवेदित है जिसमें से 81 औषधीय पौधें हैं। अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण वनस्पति सिता अशोका (सराका अशोका), *इंडियन संदल्वौड* (संतलुम अलबम), *अर्जुन* (टरमिनालिया अर्जुन), नेवला (मंगिफेरा इंडिका), *कदम्ब*- बुरफलोवेर ट्री (नेओलामरकिया कदमबा), *कटसागोन* (हप्लोफरागमा अदेनोफयल्लुम), *खइर* (सेनेगलिया कटेचु), *पखद* (फिकुस लकोर), *पिखान* (फिकुस रूम्फि), *बंयान* (फिकुस बेंघालेंसिस), *बहेडा* (टरमिनालिया बेल्लेरिका), *सिशम*– इंडियन रोसेवौड (दल्बेरिगा सिस्सौ), *टैक* (टेकटोना ग्रांदिस), *चिरचिटा* (अचयरांथेस अस्पैरा) आदि अभिलिखित किए गए है।

और, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र (अधिसूचना के उपाबंध क के रूप में संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए अनुसार) को हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, हापुड, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा के अंतर्गत आने वाले हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र के बीच स्थित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 239.41वर्ग किलोमीटर है |

(2) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और इसके संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांकों और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II क और ख** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** में दिए गए है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) उक्त महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को इस प्रकार विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकुल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

IndiaCode

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्लैल्क्स या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और के राज्य सरकार के विनियमों अधीन के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोत की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

IndiaCode

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि नए, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिर्सोट का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलाप का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल /या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रंबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रंबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रंबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रंबंधन से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशा मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित किए जाएंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, पर्यटक

		क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों के खर्च को पर्यटन महायोजना उसके साथ लागू दिशा निर्देशो के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख)एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों अथवा गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए

	परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	फर्मो, कॉर्पोरेट, कंपनियों और द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। तथापि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	ट्रेकिंग और कैम्पिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

IndiaCode

30.	सामुदायिक रिजर्व प्रकृति।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का के अधीन 29) की धारा 3 की उपधारा (3) इस अधिसूचना के उपबंधो की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	आयुक्त मेरठ क्षेत्र	- अध्यक्ष;
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ	–सदस्य;
3.	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	लोक निर्माण विभाग का कार्यकारी अभियंता,मेरठ	
7.	सिंचाई विभाग का कार्यकारी अभियंता, मेरठ	–सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, आगरा मेरठ क्षेत्र मेरठ	–सदस्य;
9.	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मेरठ	
10.	संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी संभाग, मेरठ	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन: — (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय:** — इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/26/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा ग्राम जोगावाला, जिला मुजफ्फरनगर की सीमा से उत्तर में उ29°34'27.03" पू77°58'58.16" पर आरंभ होकर उत्तर दिशा में उ29°33'50.42" पू78°02'53.87" पर बिजनौर जिले के टीप ग्राम की ओर जाती है। इसके बाद यह मंडावर-बालावली सड़क को पार करके उ29°31'33.73"

पू78°04'11.03" पर पूर्व की ओर जाती है, चंदाक-बालावाली सड़क को पार करके उ29°32'38.49" पू78°04'53.48" पर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद भोजपुर-फजलपुर सड़क को पार करके उ29°31' 46.05" पू78°05'29.45" पर दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है, बिजनौर हरिद्वार सड़क को पार करके उ29°30'13.86" पू78°07'53.36" पर जाकर किरतपुर-मंडावर सड़क को पार करके उ29°29'35.20" पू78°08'36.96" इसके बाद यह मलन नदी को उ29°27'22.56" पू78°08'31.75" को पार करके दक्षिण दिशा की ओर जाती है। गजरौला शिव सड़क को उ29°26'14.61" पू78°08'28.58" पर पार करके, बिजनौर-किरतपुर सड़क को एनएच 119 उ29°23'22.19" पू78°08'49.56" पर पार करके पूर्व की ओर जाती है, बिजनौर-नगीना सड़क उ29°23'05.23" पू78°09'16.42" पर पार करती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बिजनौर-मुरादाबाद उ29°21'39.92" पू78°08'50.82" को पार करती है, दक्षिण दिशा की ओर उ29°16'44.83" पू78°07'40.68" पर गंज-हलदौर सड़क को पार करके, पूर्वी गंगा नहर को पार करके उ29°14'58.43" पू78°12'53.06" चांदपुर-नहटौर सड़क को उ29°08'56.26" पू78°16'35.71" पर पार करती है, चांदपुर-नूरपुर सड़क को उ29°07'52.75" पू78°17'23.13" पर पार करती है और चांदपुर –फिना सड़क को उ29°07'12.45" पू78°17'11.80" पर पार करके उ29°01'48.74" पू78°16'49.99" अमरोहा जिले के पंधेरी सादात ग्राम तक पहुँचती है।

अमरोहा जिले के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिजनौर जिले के फनदेदी ग्राम की सीमा पर जीपीएस उ29°00'53.68" पू78°09'46.32" से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह रसूलपुर ग्राम के जीपीएस बिंदु उ29°00'37.53" पू78°09'44.73" तक पहुँचती है, इसके बाद यह सीमा पुनः पूर्व दिशा में जाती है और फिर यह चुचेला कलां ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°35'35.41" पू78°09'40.74" पर पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व की ओर जाती है फिर यह रामगंगा फीडर नहर पर जीपीएस बिंदु उ28°35'24.51" पू78°09'38.27" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह धनौरा नोगावन मार्ग पर जीपीएस बिंदु उ28°34'58.39" पू78°09'21.26" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा जीपीएस बिंदु उ28°33'56.50" पू78°09'14.22" पर एसडीएम कालोनी के निकट पूर्व दिशा में जाती है। इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह कुम्हारपुरा ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°33'39.50" पू78°09'07.31" तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह फतेहपुर चेतरा ग्राम के साथ जीपीएस बिंदु उ28°32'30.32" पू78°08'41.07" तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा पुनः दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर यह जोगीपुरा ग्राम के जीपीएस बिंदु उ28°31'30.81" पू78°08'32.22" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा में जाती है फिर यह सलेमपुर गोसाई ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°30'56.70" पू78°08'25.07" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है फिर यह खाईखेडा ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°30'37.05" पू78°08'04.27" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा में जाकर कुमराला पक्का पुल पर जीपीएस बिंदु उ28°30'08.07" पू78°07'55.29" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पुनः पूर्व दिशा में जाती है और गजरोला रेलवे स्टेशन पर जीपीएस बिंदु उ28°30'06.29" पू78°08'42.86" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है फिर यह अलीपुर चोपला पर जीपीएस बिंदु उ28°29'42.96" पू78°09'00.64" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा में जाती है फिर यह अलीपुर चोपला हसनपुर सड़क पर जीपीएस बिंदु उ28°29'33.54" पू78°08'42.91" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में पुनः जाती है फिर यह नैयपुरा ग्राम के साथ जीपीएस बिंदु उ28°29'26.56" पू78°08'27.98" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा दक्षिण दिशा में जाकर सुल्तानथेर ग्राम पर जीपीएस बिंदु उ28°28'23.02" पू78°07'15.93" तक पहुँचती है। इसके

IndiaCode

बाद सीमा दक्षिण दिशा में पुनः जाती है फिर यह बिजोरा मार्ग पर जीपीएस बिंदु उ28°27'47.05" पू78°06'16.25" तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा पश्चिम दिशा में जाकर फिर यह जीपीएस बिंदु उ28°27'37.06" पू78°05'41.84" तक पहुँचती है, अमरोहा जिला में आखिरी ग्राम मोहम्मदाबाद में शून्य बिंदु पर जाकर यह हापुड़ जिला की सीमा तक पहुँचती है।

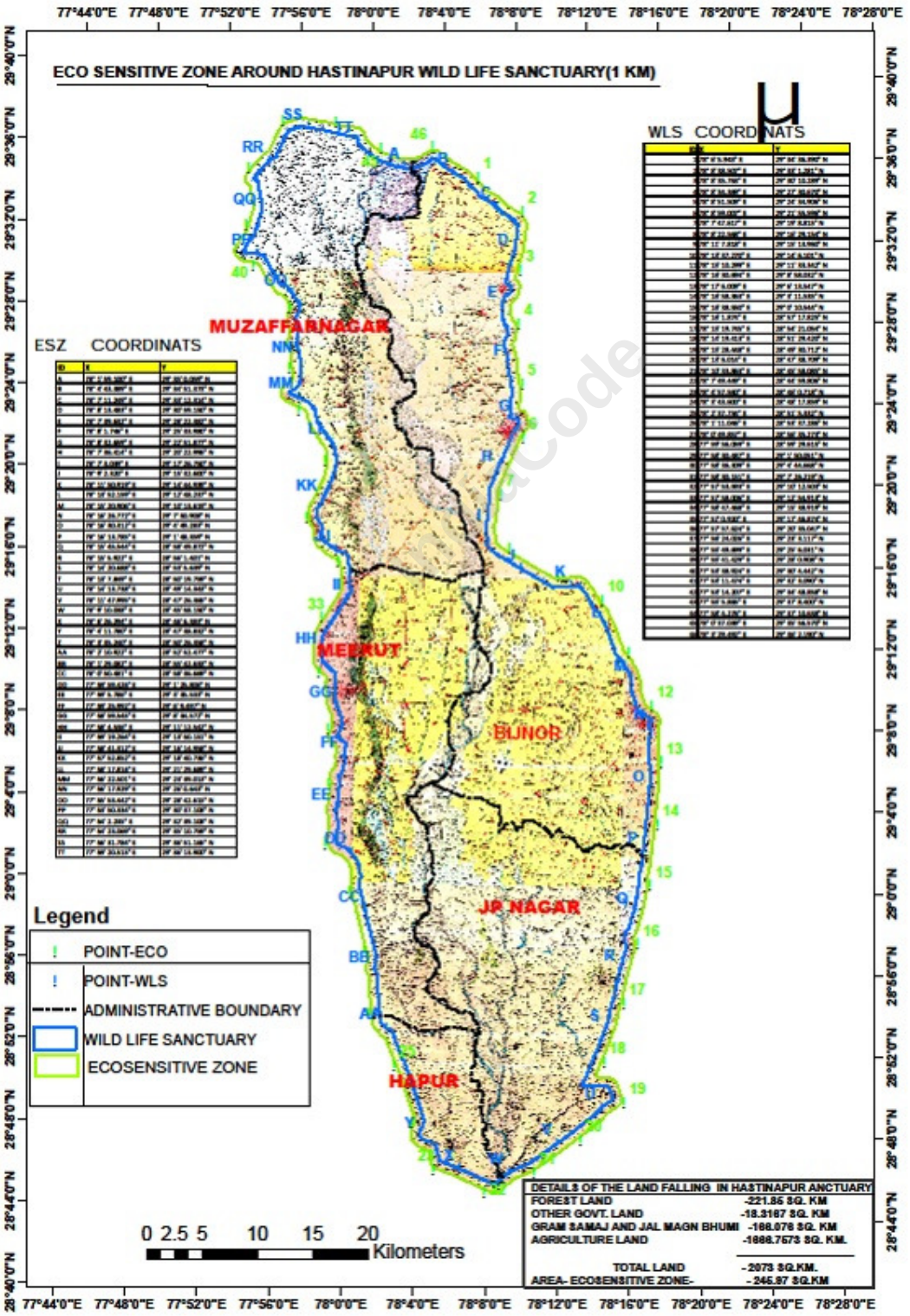
हापुड़ जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा अमरोहा जिले की सीमा पर उ28°41'30.67" पू78°8'24.46" से आरंभ होती है, इसके बाद यह अलमगीरपुर, बृजघाट, अलबकशपुर ग्रामों से होते हुए एनएच-24 के साथ जाती है इसके बाद यह गरह-सियाना सड़क को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है और सियाना गरह चोपला को उ28°46'5.10" पू78°5'2.16" पर पार करती है। यह 28°47'3.41" पू78°4'9.08" पर गढ़मुक्तेश्वर कस्बे के बाई ओर के माध्यम से गढ़मेरठ सड़क पर जाती है। इसके बाद यह गढ़मेरठ सड़क को पार करके उ 28°47'7.31" पू78°4'0.21" दोतई गांव के पार से पश्चिम दिशा की ओर जाती है। इसके बाद यह कल्याणपुर, कुलपुर, झादिना ग्रामों को छूती हुई उत्तर दिशा में मुड़ती है और सैदपुर रेगुलेटर पर उ28°52'09.24" पू78°2'04.2" पर मेरठ जिले की सीमा तक पहुँचती है।

मेरठ जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उ28°52'38.65" पू78°1'11.20" से आरंभ होती है इसके बाद सड़क को पार करके उ29°2'39.20" पू77°58'29.41" पर असीलपुर, अगवानपुर, खाईखेरा ग्रामों को पार करके उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह गांव गजुपरा में मवाना-चांदपुर सड़क को उ29°5'39.85" पू77°58'42.87" पर पार करके उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद दरियापुर, अफजलपुर और नाईपोथा ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर जाती है और गणेशपुर-हस्तिनापुर सड़क उ29°8'54.73" पू77°58'10.94" पर पार करती है, उसके बाद तजपुरा, समसपुर एवं फतेहपुर हंसपुर ग्रामों को छूकर उत्तर दिशा में मुड़ती है और मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर मोहमदपुर शाकिस्त ग्राम पर उ29°14'39.89" पू77°58'49.32" पर पहुँचती है।

मुजफ्फरनगर जिले में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा हसमपुरा ग्राम में उ29°14'39.89" पू77°58'49.32" से आरंभ होकर और पुत्तही इब्राहिमपुर और किथोडा ग्रामों को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है, इसके बाद मेरठ-पौड़ी सड़क को उ29°17'34.14" पू77°56'58.90" पर पार करती है, इसके बाद मीरापुर, जमलपुर बंगाल, सिकन्दरपुर, ज़दवद, कटिया और तेंदेदा सदत ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर जाती है और मोरना-जनसथ सड़क का उ 29°23'38.89" पू77°55'12.22" पर पार करती है। इसके बाद यह ककरौली ग्राम को छूकर उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद मुजफ्फरनगर-जौली-बेहदा सदत सड़क को उ29°24'40.31" पू77°58'48.73" पर पार करके, पानीपत-खतिमा सड़क को उ29°28'07.98" पू 77°55'39.98" पर पार करके बेहदा सदत, दौलतपुर एवं बेहदा हैदी ग्रामों को छूती हुई उत्तर की ओर मुड़ती है, इसके बाद यह मोरना नगर और अथाई ग्राम को छूती हुई उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह मुख्य गंगा नहर की उ29°30'05.42" पू77°52'37.72" पर पार करती है, इसके बाद यह बेलदा और धीराहेरी ग्रामों को पार करके उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद यह मुख्य गंगा नहर की उ29°31'25.41" पू77°52'45.12" पर पार करती है, इसके बाद यह गगवड़ा ग्राम को छूती हुई उत्तर दिशा में मुड़ती है। इसके बाद यह गंगा नहर के सहायक धाराओं को उ29°34'08.07" पू77°53' 01.35" पर पार करती है, इसके बाद यह दुहेली नंगला, मलकपुर, जिंदावाला और अलमावाला ग्रामों को छूती हुई पूर्व दिशा में जाती है, इसके बाद यह जोगावाला ग्राम में उ29°34'27.03" पू77°58'58.16" पर मुजफ्फरनगर जिले की सीमा तक पहुँचती है।

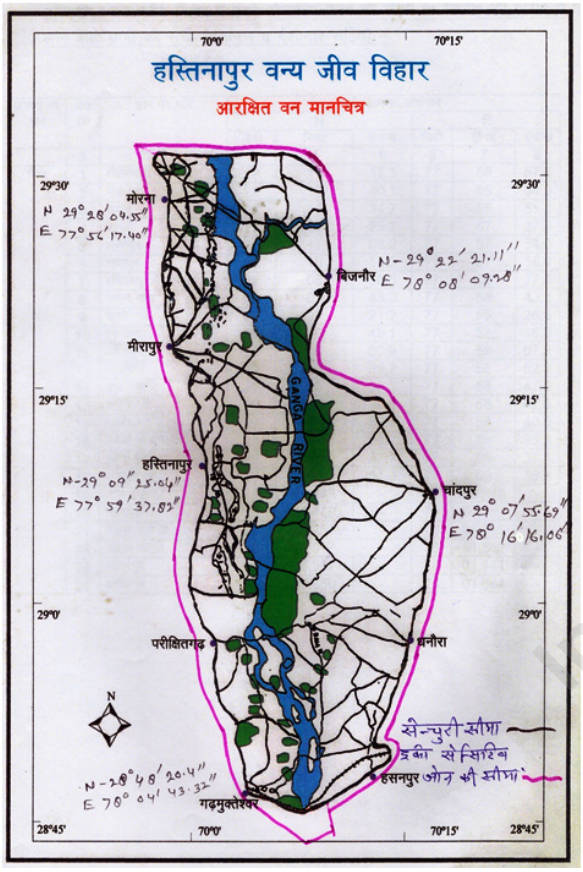
उपाबंध II-क

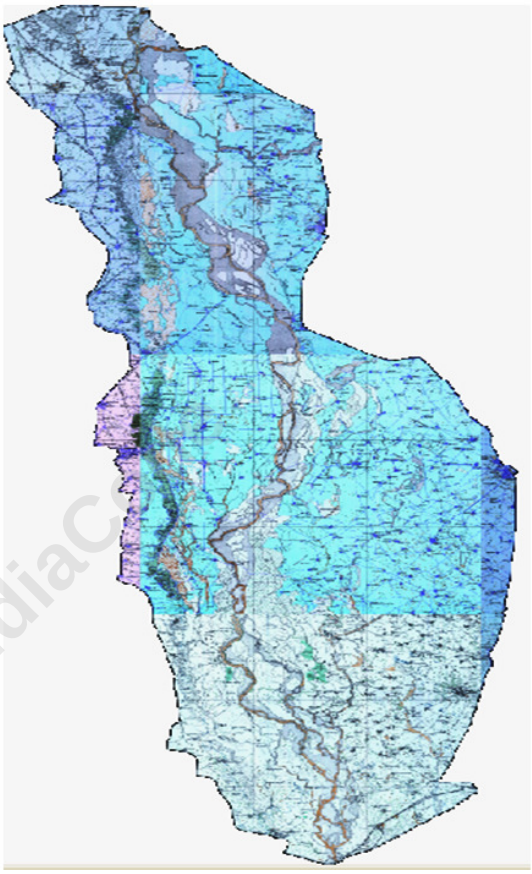
भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- II-ख

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के लिए वन खंडों और मुख्य अवस्थानों और भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट मानचित्र के साथ संरक्षित क्षेत्र सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र (मापा नहीं गया)





उपाबंध-III

सारणी क: हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

आई.डी	एक्स	वाई
1.	78° 6' 5.945" पू	29° 34' 36.390" उ
2.	78° 8' 38.507" पू	29° 33' 1.281" उ
3.	78° 8' 35.763" पू	29° 30' 10.289" उ
4.	78° 8' 34.369" पू	29° 27' 30.670" उ
5.	78° 8' 51.509" पू	29° 24' 34.906" उ
6.	78° 8' 59.007" पू	29° 21' 55.596" उ
7.	78° 7' 47.617" पू	29° 19' 8.815" उ

8.	78° 8' 22.568" पू	29° 16' 29.154" उ
9.	78° 11' 7.818" पू	29° 15' 13.960" उ
10.	78° 13' 37.270" पू	29° 14' 6.101" उ
11.	78° 15' 10.299" पू	29° 11' 33.342" उ
12.	78° 16' 30.694" पू	29° 8' 58.032" उ
13.	78° 17' 6.009" पू	29° 6' 13.547" उ
14.	78° 16' 58.363" पू	29° 3' 11.535" उ
15.	78° 16' 38.550" पू	29° 0' 10.544" उ
16.	78° 16' 1.874" पू	28° 57' 17.825" उ
17.	78° 15' 19.745" पू	28° 54' 21.054" उ
18.	78° 14' 19.413" पू	28° 51' 29.420" उ
19.	78° 15' 28.448" पू	28° 49' 30.712" उ
20.	78° 13' 6.014" पू	29° 47' 38.709" उ
21.	78° 10' 33.863" पू	28° 45' 58.085" उ
22.	78° 7' 49.449" पू	28° 44' 59.806" उ
23.	78° 4' 57.560" पू	28° 46' 0.718" उ
24.	78° 3' 43.600" पू	28° 48' 17.899" उ
25.	78° 2' 37.734" पू	28° 51' 5.332" उ
26.	78° 1' 11.046" पू	28° 53' 37.286" उ
27.	78° 0' 49.857" पू	28° 56' 35.273" उ
28.	77° 59' 56.059" पू	28° 59' 29.615" उ
29.	77° 58' 30.487" पू	29° 1' 50.051" उ
30.	77° 58' 36.309" पू	29° 4' 44.668" उ
31.	77° 58' 30.151" पू	29° 7' 26.219" उ
32.	77° 57' 53.593" पू	29° 10' 12.503" उ
33.	77° 57' 58.006" पू	29° 12' 54.913" उ
34.	77° 58' 47.468" पू	29° 15' 38.919" उ
35.	77° 57' 0.920" पू	29° 17' 46.874" उ
36.	77° 57' 57.624" पू	29° 20' 35.047" उ
37.	77° 56' 24.026" पू	29° 23' 3.117" उ
38.	77° 55' 49.699" पू	29° 25' 6.031" उ

IndiaCode

39.	77° 55' 41.429" पू	29° 28' 0.908" उ
40.	77° 53' 38.924" पू	29° 30' 4.442" उ
41.	77° 53' 11.474" पू	29° 32' 3.090" उ
42.	77° 53' 14.207" पू	29° 34' 48.858" उ
43.	77° 55' 5.865" पू	29° 37' 8.400" उ
44.	77° 58' 4.276" पू	29° 37' 10.638" उ
45.	78° 0' 37.089" पू	29° 35' 56.570" उ
46.	78° 3' 29.492" पू	29° 36' 2.190" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

आईडी	एक्स	वाई
ए.	78° 1' 59.100" पू	29° 35' 0.059" उ
बी.	78° 4' 43.389" पू	29° 34' 51.373" उ
सी.	78° 7' 11.249" पू	29° 33' 12.314" उ
डी.	78° 8' 13.483" पू	29° 30' 59.150" उ
ई.	78° 7' 39.632" पू	29° 28' 22.382" उ
एफ.	78° 8' 1.746" पू	29° 25' 33.980" उ
जी.	78° 8' 32.659" पू	29° 22' 51.877" उ
एच.	78° 7' 36.414" पू	29° 20' 22.996" उ
आई.	78° 7' 3.039" पू	29° 17' 26.750" उ
जे.	78° 9' 2.320" पू	29° 15' 32.600" उ
के.	78° 9' 2.320" पू	29° 15' 32.600" उ
एल.	78° 13' 52.159" पू	29° 12' 48.297" उ
एम.	78° 15' 20.906" पू	29° 10' 13.619" उ
एन.	78° 16' 26.772" पू	29° 7' 50.908" उ
ओ.	78° 16' 30.312" पू	29° 4' 49.283" उ
पी.	78° 16' 13.785" पू	29° 1' 48.359" उ
क्यू.	78° 15' 45.544" पू	28° 58' 49.872" उ
आर.	78° 15' 5.922" पू	29° 56' 1.401" उ
एस.	78° 14' 20.688" पू	28° 53' 5.639" उ
टी.	78° 13' 7.849" पू	28° 50' 19.759" उ
यू.	78° 14' 13.738" पू	28° 49' 14.343" उ
वी.	78° 11' 47.995" पू	29° 47' 26.365" उ
डब्ल्यू.	78° 9' 10.038" पू	28° 45' 58.150" उ

एक्स.	78° 6' 26.294" पू	28° 46' 6.383" उ
वाई.	78° 4' 11.780" पू	28° 47' 38.832" उ
जेड.	78° 3' 35.240" पू	28° 50' 26.358" उ
ए ए.	78° 2' 10.922" पू	28° 52' 52.477" उ
बी बी.	78° 1' 29.082" पू	28° 55' 42.633" उ
सी सी.	78° 0' 50.481" पू	28° 58' 36.669" उ
डी डी.	77° 59' 59.426" पू	29° 1' 25.806" उ
ई ई.	77° 59' 5.786" पू	29° 3' 35.533" उ
एफ एफ.	77° 59' 25.992" पू	29° 6' 9.497" उ
जी जी.	77° 58' 59.545" पू	29° 8' 34.572" उ
एच एच.	77° 58' 4.536" पू	29° 11' 12.542" उ
आई आई.	77° 59' 19.264" पू	29° 13' 50.151" उ
जे जे.	77° 58' 41.312" पू	29° 16' 14.958" उ
के के.	77° 57' 52.852" पू	29° 18' 40.736" उ
एल एल.	77° 58' 17.816" पू	29° 21' 29.689" उ
एम एम.	77° 56' 22.501" पू	29° 23' 39.013" उ
एन एन.	77° 56' 17.929" पू	29° 26' 0.643" उ
ओ ओ.	77° 55' 53.442" पू	29° 28' 42.615" उ
पी पी.	77° 53' 50.334" पू	29° 30' 37.108" उ
क्यू क्यू.	77° 54' 2.235" पू	29° 32' 39.108" उ
आर आर.	77° 54' 23.069" पू	29° 35' 10.759" उ
एस एस.	77° 56' 31.784" पू	29° 36' 51.165" उ
टी टी.	77° 59' 20.515" पू	29° 36' 13.900" उ

उपाबंध III

हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

जिला नाम	**क्र.सं.**	**ग्राम नाम**	**जी.पी.एस. अवस्थिति**					
			उ			**पू**		
			डिग्री	**मिनट**	**सेकेण्ड**	**डिग्री**	**मिनट**	**सेकेण्ड**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
मेरठ	**1**	मोहम्मद पुर	29	14	17.1	77	58	57.4
	2	मोड खुर्द	29	13	40.1	77	58	34.9
	3	सदर पुर	29	13	34.2	77	58	31.8
	4	बहसुमा	29	12	25.3	77	57	37.5
	5	समसपुर	29	11	08.2	77	57	34.0

	6	रेहमापुर	29	10	14.3	77	57	58.0
	7	हस्तिनापुर/गणेशपुर	29	08	56.5	77	58	17.5
	8	नगला चंद	29	07	43.0	77	58	43.8
	9	पाली	29	07	21.2	77	59	26.5
	10	इकबारा	29	06	49.1	77	58	16.0
	11	दरियापुर	29	06	30.9	77	59	07.3
	12	निदावली	29	05	59.2	77	58	52.2
	13	धुमा नगली	29	05	39.5	77	58	47.9
	14	अलीपुर मोरना	29	05	07.5	77	58	47.6
	15	गजरौली	29	04	52.3	77	58	40.5
	16	अकबरपुर इच्छाबाद	29	04	08.2	77	58	39.3
	17	हुमायुन पुर	29	02	57.7	77	58	37.4
	18	जय सिंह पुर	29	02	34.0	77	58	36.9
	19	अगवानपुर	28	59.643	-	77	59.843	-
	20	नारंगपुर	28	58.440	-	78	00.391	-
	21	गेसुपुर सुमाली	28	56.257	-	78	01.393	-
	22	गेसुपुर जनुबी	28	56.017	-	78	01.352	-
	23	महमूद पुर	28	55.587	-	78	01.441	-
	24	असीलपुर	28	53.860	-	78	01.684	-
बिजनौर	1	मीरापुर खादर	29	31	625	78	04	069
	2	दयाल वाला	29	31	567	78	04	255
	3	शेखु पुरा	29	31	090	78	05	593
	4	देवी दास वाला	29	30	216	78	04	432
	5	मंदावर	29	29	391	78	07	458
	6	मोंदिया	29	29	876	78	08	459
	7	लालपुर	29	28	616	78	07	807
	8	लायक पुर	29	27	985	78	07	956
	9	सुखानंद पुर	29	28	644	78	07	994
	10	जनदार पुर	29	25	938	78	07	901
	11	गजरौला शिव	29	26	274	78	08	488
	12	मंडावली सैदु	29	25	623	78	07	918
	13	जमाल पुर पठानी	29	25	023	78	08	015
	14	आदमपुर	29	23	311	78	08	727
	15	बिजनौर	29	22	909	78	08	188
	16	आदर्श नगर	29	23	311	78	08	727
	17	बकशी वाला	29	22	253	78	08	961

IndiaCode

	18	बुखारा	29	22	363	78	08	765
	19	झंडा पुर	29	20	716	78	07	782
	20	लक्की वाला	29	18	310	78	07	051
	21	दारा नगर गंज	29	16	719	78	07	028
	22	शाहपुर	29	15	988	78	08	021
	23	महमूदा	29	15	641	78	09	189
	24	छचहरी टीप	29	14	665	78	10	746
	25	झलाउ लेदा	29	14	768	78	11	986
	26	हीमपुर दीपा	29	13	42.0	78	13	07.4
	27	रतन पुर खुर्द	29	13	30.1	78	13	20.8
	28	सुदनी पुर रवती	29	12	42.7	78	13	50.5
	29	अकबर पुर टिगरी	29	11	12.3	78	14	36.6
	30	रौनिया	29	10	28.7	78	15	18.6
	31	सयाउ	29	08	48.3	78	15	46.4
	32	चांदपुर	29	08	16.2	78	15	43.5
	33	हरपुर	29	06	20.3	78	16	42.9
	34	मिर्जापुर	29	05	36.6	78	16	51.3
	35	बगदपुर	29	04	22.5	78	16	39.0
	36	दरवाडा	29	05	57.7	78	16	30.6
हापुड़	1	सैदपुर	28	52	22.0	78	02	37.2
	2	कल्याण पुर	28	49	45.2	78	03	22.7
	3	जनपुरा	28	49	28.1	78	03	10.6
	4	खिलवई	28	48	42.6	78	03	33.7
	5	दोताई	28	47	57.2	78	03	18.3
	6	अल्लावक्श पुर	28	46	05.8	78	06	11.2
अमरोहा	1	बछरायुन	28	55	50	78	14	56.6
	2	फत्तेपुर छिछरा	28	54	22.03	78	14	35.02
	3	जोगीपुर	28	53	59.1	78	14	25.0
	4	सकरथली	28	52	20.7	78	13	57.04
	5	चकी खेड़ा	28	51	25.1	78	13	25.0
	6	अहरोला तेज़वान	28	51	13.2	78	13	30.0
	7	कृपाल नाथ पुर	28	50	18.8	78	13	06.7
(हसनपुर रेंज)	8	फज़ल पुर	28	50	17.09	78	14	04.3
	9	गजरौला	28	50	17.06	78	14	32.02
	10	कुम्हारपुरा	28	55	52.3	78	15	03.2
	11	मोहम्मद पुरा	28	56	17.3	78	15	22.2

IndiaCode

	12	कमल पुर काजी	28	56	54.7	78	15	42.1
	13	धनौरा शहर	28	57	33.6	78	15	23.5
	14	पत्तरकुटी	28	58	29.2	78	15	42.5
	15	चुचैला कलान	29	59	51.7	78	16	09.8
	16	रसूल पुर	27	01	03.3	78	16	15.3
	17	फदेदी	29	01	49.6	78	16	25.5
	18	महमूदा बाद	28	46	19.0	78	09	53.0
	19	कनकाथेर	28	47	07.4	78	11	11.1
	20	सुलतान थेर	28	47	45.0	78	12	08.3
	21	खियाली पुर	28	47	43.7	78	12	08.0
	22	नई पुरा	28	48	53.1	78	13	44.4
	23	भारतीय ग्राम	28	49	09.8	78	14	01.3
मुजफ्फर नगर	**1**	हासम पुरा	29	15	25.80	77	58	46.51
	2	किथोरा	29	16	51.09	77	57	11.55
	3	मीरा पुर	29	17	35.10	77	56	58.90
	4	वलीपुरा	29	18	10.74	77	56	52.64
	5	सिकन्दर पुर	29	19	38.08	77	57	37.54
	6	जदवाद	29	20	50.76	77	57	51.88
	7	कटिया	29	21	39.05	77	57	20.63
	8	तनधेदा सदत	29	22	17.79	77	56	52.12
	9	तनधेदा गईराबाद	29	22	32.54	77	56	44.25
	10	ककरौली	29	23	41.59	77	55	10.33
	11	दौलत पुर	29	25	47.52	77	55	38.47
	12	ककराला	29	28	22.08	77	55	24.04
	13	भीदाहेदी	29	27	27.75	77	55	25.12
	14	नई बस्ती मौरना	29	27	45.60	77	55	35.16
	15	अथाई	29	29	24.40	77	54	16.00
	16	बेलदा	29	30	28.48	77	52	33.23
	17	धीराहेदी	29	30	42.86	77	52	24.66
	18	सिकन्दर पुर	29	32	29.54	77	53	20.07
	19	लालपुर गैराबाद	29	32	36.68	77	53	21.86
	20	ज़िदावाला	29	34	54.68	77	55	15.47
	21	कलेवाल	29	35	06.78	77	54	50.93

IndiaCode

	22	मिलकपुर	29	34	47.12	77	53	31.16
	23	नारायण पुरी	29	34	55.98	77	53	52.72
	24	बबरा गैराबाद	29	18	32.69	77	56	58.74
	25	जमालपुर बैंगर	29	18	56.24	77	57	13.09
	26	खोखनी	29	24	19.99	77	55	26.50
	27	रायपुर	29	30	07.23	77	53	07.19
	28	निरंगाजनी	29	31	19.07	77	52	45.94
	29	दुहेली	29	34	37.27	77	53	10.45
	30	हाजीपुर खादर गैराबाद	29	34	36.68	77	58	28.17
	31	अलमावाला	29	34	21.89	77	59	58.93
	32	मजलीशपुर	29	34	18.15	78	00	09.62
	33	शाहजहाँ पुर	29	33	32.16	78	01	14.72

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारिख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख (पारिस्थितिकी संवेदी जोन) में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकते हैं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2018

S.O. 4890(E).—WHEREAS.- a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 505(E) dated 2nd February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments/objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, The Hastinapur Wildlife Sanctuary is located in five districts-Muzaffarnagar, Meerut, Hapur, Bijnor and Amroha of Uttar Pradesh. It spreads in an area of **2073 sq. km**. while the area of the proposed Eco-sensitive zone is **239.41 sq km**;

AND WHEREAS, The Hastinapur Wildlife Sanctuary holds good diversity of wildlife fauna which includes 41 species of Mammals, 373 species of Birds, 36 species of Reptiles, 10 species of Amphibians and 79 species of Fishes.The sanctuary is the important habitat of Smooth-coated otter (*Lutrogale perspicillata),* Dolphin(*Platanista gangetica),* Swamp Deer (*Rucervus duvaucelii),* leopard (*Panthera pardus),* Blackbuck (*Antilope cervicapra),* Indian black turtle (*Melanochelys trijuga),* Black pond turtle (*Geoclemys hamiltonii),* Crowned river turtle(*Hardella thurjii),* Brown roofed turtle (*Pangshura smithii),* Indian roofed turtle (*Pangshura tecta),* Indian tent turtle (*Pangshura tentoria),* Three-striped roofed turtle(*Batagur dhongoka),* Red-crowned roofed turtle (*Batagur kachuga),* Indian flap shell turtle (*Lissemys punctate),* Indian soft-shell turtle (*Nilssonia gangetica),* Indian peacock soft-shell turtle (*Nilssonia hurum),* Indian narrow-headed soft-shell turtle (*Chitra indica),* Gharial (*Gavialis gangeticus),* Mugger (*Crocodylus palustris),* Sarus Crane(*Grus Antigone),* River Tern(*Sterna aurantia),* Egyptian Vulture(*Neophron percnopterus),* Darter(*Anhinga melanogaster),* Black-headed Ibis(*Threskiornis melanocephalus),* Painted Stork(*Mycteria leucocephala),* Indian Skimmer(*Rynchops albicollis),* Black-bellied Tern (*Sterna acuticauda),* Shikra(*Accipiter badius),* Golden mahseer(*Tor putitora),* Jamunaailia(*Ailiichthyspunctata)* etc.

AND WHEREAS,More than280 plant species are reported from the Hastinapur Wildlife Sanctuary out of which 81 are the species of medicinal plants. important flora recorded from the sanctuary are Sita Ashoka (*Saraca asoca),* Indian Sandalwood (*Santalum album),* Arjuna (*Terminalia arjuna),* Mango (*Mangifera indica),* Kadamb-Burflower Tree (*Neolamarckia cadamba),* Katsagon (*Haplophragma adenophyllum),* Khair (*Senegalia catechu),* Pakhad (*Ficus lacor),* Pilkhan (*Ficus rumphii),* Banyan (*Ficus benghalensis),* Baheda (*Terminalia bellerica)* Seesham – Indian Rosewood (*Dalbergia sissoo)* ,Teak (*Tectona grandis),* Chirchita (*Achyranthes aspera)* etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Hastinapur Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Hastinapur Wildlife Sanctuary in the state of Uttar Pradesh (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The said Eco-Sensitive Zone is situated between the area up to **one kilometre**all around the boundary of Hastinapur Wildlife Sanctuary that is falling in the Meerut, Hapur, Muzaffarnagar, Bijnor and Amroha district of Uttar Pradesh.The area of Eco-sensitive Zone is **239.41 square kilometres**.

 (2) The boundary description of Hastinapur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

 (3) The map ofHastinapur Wildlife Sanctuary along with the Geo-coordinates of protected area and its Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IIA & B.**

 (4) The Geo-coordinates of Hastinapur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III.**

 (5) The list of the villages falling within one kilometre distance of the boundary of Hastinapur Wildlife Sanctuary in the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

MediaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State

Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided farther that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

Provided farther that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c)The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d)The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. -Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste. -The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for Personal consumption . (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. in Writ petition (civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. In Writ petition (civil) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing Pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

IndiaCode

		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided farther the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per applicable law.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per applicable laws.
19.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws .
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated as per applicable laws
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
29.	Trekking and camping.	Regulated as per applicable laws.
30.	Community Reserve Nature.	Regulated as per applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per applicable laws for use of locals.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee:-The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely: -

1.	Commissioner Meerut Zone	Chairman;
2.	Senior Superintendent of Police, Meerut	Member;
3.	One representative of a Non-Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government.	Member;
4.	One Expert in Ecology	Member;
5.	One Expert in Biodiversity	Member;
6.	Executive Engineer of PWD, Meerut	Member;
7.	Executive Engineer of Irrigation Department, Meerut	Member;
8.	Wildlife Warden, Agra Meerut Region Meerut	Member;
9.	Regional Office, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Meerut	Member;
10.	Divisional Director, Social Forestry Division, Meerut	Member Secretary.

IndiaCode

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measure.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court.- The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/26/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

The boundary of Eco Sensitive Zone of HWLS starts at N29°34'27.03" E77°58'58.16" in the North on the Boundary of District- Muzaffarnagar at Village- Jogawala and moves towards Teep village of Bijnor district in North direction at N29°33'50.42" E78°02'53.87". Then it runs eastward crossing Mandawar- Balalwali road at N29°31'33.73" E78°04'11.03" runs South East crossing chandok- Balawali road at N29°32'38.49" E78°04'53.48", further runs in South East direction crossing Bhojpur - Fajalpur Road at N29°31' 46.05" E78°05'29.45", crossing Bijnor Haridwar road at N29°30'13.86" E78°07'53.36". then crossing Kiratpur- Mandawar road at N29°29'35.20" E78°08'36.96", then it runs in southward direction crossing Malan Nadi at N29°27'22.56" E78°08'31.75", crossing Gajraula Shiv road at N29°26'14.61" E78°08'28.58", runs eastward crossing at Bijnor-Kiratpur road N.H 119 at N29°23'22.19" E78°08'49.56", crossing Bijnor - Nagina Road at N29°23'05.23" E78°09'16.42", crossing Bijnor-Moradabad road in South East direction at N29°21'39.92" E78°08'50.82", crossing Ganj-Haldaur road in southward direction at N29°16'44.83" E78°07'40.68" crossing East Ganga Canal at N29°14'58.43" E78°12'53.06", crossing Chandpur-Nahtaur road at N29°08'56.26" E78°16'35.71", crossing Chandpur-Noorpur road at N29°07'52.75" E78°17'23.13" and crossing Chandpur-Feena road at N29°07'12.45" E78°17'11.80", and reaches Pandheri Sadat Village of Amroha district at N29°01'48.74" E78°16'49.99".

In Amroha District, the boundary of Eco-sensitive zone starts at GPS N29°00'53.68" E78°09'46.32" on Fandedy village border of Bijnor district and runs in North East direction till it reaches Rasulpur village at GPS point N29°00'37.53" E78°09'44.73", then the line continues in East direction till it reaches Chuchela Kalan village with GPS point N28°35'35.41" E78°09'40.74". Then the line runs eastwards till it reaches Ramganga Feeder Canal at GPS point N28°35'24.51" E78°09'38.27". Then the line runs in the South East direction till it reaches Dhanaura Nogavan Marg with GPS point N28°34'58.39" E78°09'21.26". Further the lines runs in the East direction up to near SDM colony with GPS point N28°33'56.50" E78°09'14.22". Then the lines run in the North East direction till it reaches Kumharpura village with GPS point N28°33'39.50" E78°09'07.31". Then the line runs in the South East direction till it reaches Fatehpur Chetra village with GPS N28°32'30.32" E78°08'41.07", then the line continus in South East direction till it reaches Jogipura village at GPS point N28°31'30.81" E78°08'32.22". Then the line runs in the East direction till it reaches Salempur Gosai Village with GPS point N28°30'56.70" E78°08'25.07". Then the line runs in the South East direction till it reaches Khaikheda Village with GPS point N28°30'37.05" E78°08'04.27". Then the line runs in the East direction till it reaches Kumrala Pakka Pul with GPS pointN28°30'08.07" E78°07'55.29". Further the line continues in East direction till it reaches Gajrola railway station with GPS point N28°30'06.29" E78°08'42.86". Then the line runs in North East direction till it reaches Alipur chopla with GPS point N28°29'42.96" E78°09'00.64". Then the line runs in South direction till it reaches Alipur chopla Hasanpur road with GPS point N28°29'33.54" E78°08'42.91". Further the line continues in South

East direction till it reaches Nayepura village with GPS point N28°29'26.56" E78°08'27.98". Then the line runs in South direction till it reaches Sultanther village with GPS point N28°28'23.02" E78°07'15.93". Further the line continues in South direction till it reaches Bijora marg with GPS point N28°27'47.05" E78°06'16.25". Then the line runs in West direction till it reaches GPS point N28°27'37.06" E78°05'41.84", zero point in last village Mohammadabad in Amroha District till it reaches border of Hapur district.

In Hapur district, the boundary of Eco-sensitive zone starts at the boundary of district Amroha at N28°41'30.67" E78°8'24.46", then it runs along NH-24 through Alamgirpur, Brijghat, Allahbakshpur villages then it moves North wards touching Garh-Siyana road crossing Siyana Garh chopla at N28°46'5.10" E78°5'2.16". Then it moves along Garh-Meerut road through left of Garhmukteshwar town at 28°47'3.41" E78°4'9.08". Then it moves in West direction crossing Garh-Meerut road near village Dotai at N28°47'7.31" E78°4'0.21". Then it moves in the North direction touching villages Kalyanpur, Kulpur, Jhadina and reaches at the boundary of Meerut district at Saidpur Regulator at N28°52'09.24" E78°2'04.2"

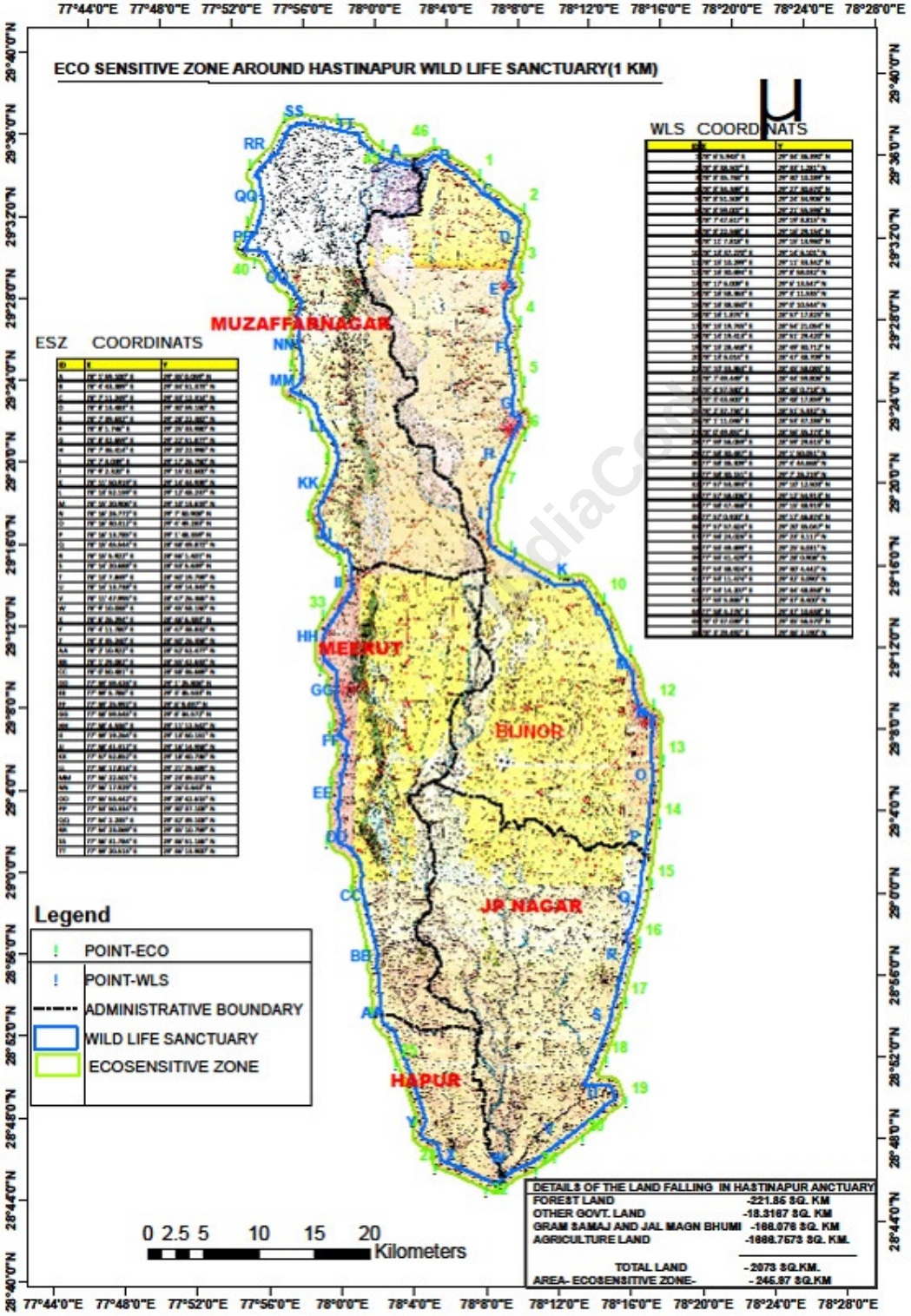
In Meerut district, the boundary of Eco-sensitive Zone starts at N28°52'38.65" E78°1'11.20" then moves North wards crossing villages Asilpur, Agwanpur, Khaikhera crossing the road at N29°2'39.20" E77°58'29.41" then moves North wards crossing village Gajupura crossing Mawana-Chandpur road atN29°5'39.85" E77°58'42.87", then North wards touching villages Dariyapur, Afjalpur and Naipootha and crosses Ganeshpur-Hastinapur road at N29°8'54.73"E77°58'10.94", then moves in North direction touching villages Tajpura, Samaspur & Fatehpur Hansapur and reaches village Mohamadpur Shakist at N29°14'39.89" E77°58'49.32" on the boundary of District Muzaffarnagar.

In Muzaffarnagar district, the boundary of Eco-sensitive Zone Starts at village Hasampura at N29°14'39.89" E77°58'49.32" and moves North wards touching villages Putthi Ibrahimpur and Kithoda, then Crosses Meerut - Pauri Road at N29°17'34.14" E77°56'58.90" then runs North wards touching town Meerapur, Jamalpur Bangar, Sikanderpur, Zadwad, Katiya and Tendeda Sadat villages and corssing Morna Jansath Road at N29°23'38.89" E77°55'12.22". Then it moves North wards touching village Kakrauli then crossing Muzaffarnagar- Joli- Behda Sadat Road at N29°24'40.31" E77°58'48.73", then moves further North touching villages Behda Sadat, Daulatpur & Bhedda Hedi crossing Panipat-Khatima Road at N29°28'07.98" E77°55'39.98", then it moves North touching town Morna and village Athai then it crosses Main Ganga Canal at N29°30'05.42" E77°52'37.72", then it moves North wards crossing villages Belda and Dheeraheri then it crosses Main Ganga Canal at N29°31'25.41" E77°52'45.12", then it moves in North direction touching village Gagwada. Then it Crosses Minor Distributary of Ganga Canal at N29°34'08.07" E77°53' 01.35", then it goes in East direction touching villages Duheli Nangla, Malakpur, Zindawala and Almawala, then it reaches the boundary of District- Muzaffarnagar at Village- Jogawala at N29°34'27.03" E77°58'58.16".

IndiaCode

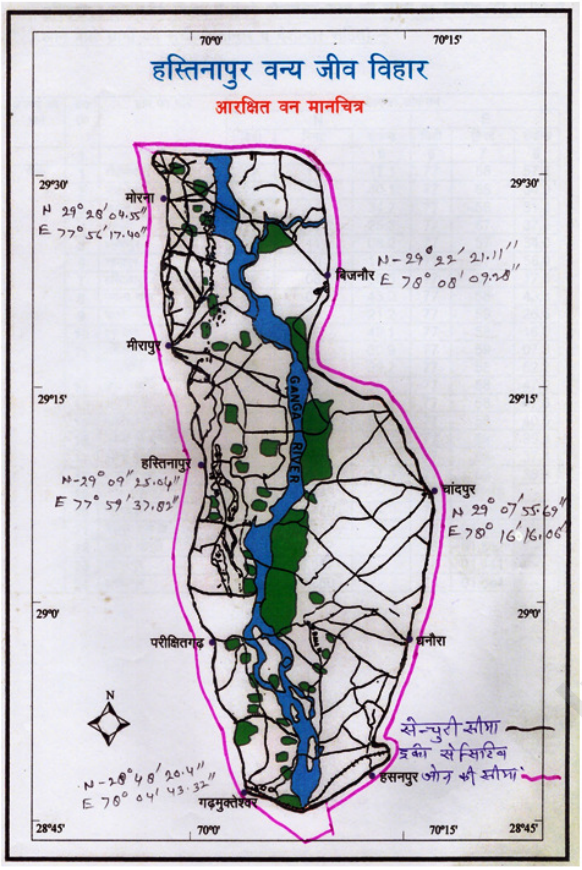
ANNEXURE- II-A

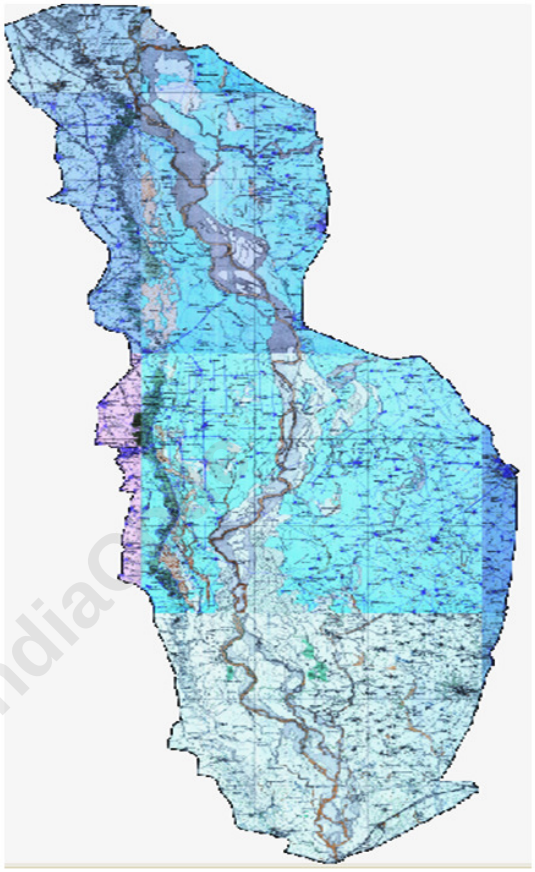
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF HASTINAPUR WILDLIFE SENCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- II-B

MAP SHOWING PA BOUNDARY AND ECO-SENSITIVE ZONE WITH FOREST BLOCKS AND PROMINENT LOCATIONS AND A SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET MAP FOR HASTINAPUR WILDLIFE SANCTUARY (Not to Scale)





ANNEXURE-III

TABLE A: Geo-coordinates of Prominent Locations of Hastinapur Wildlife Sanctuary

ID	X	Y
1.	78° 6’ 5.945” E	29° 34’ 36.390” N
2.	78° 8’ 38.507” E	29° 33’ 1.281” N
3.	78° 8’ 35.763” E	29° 30’ 10.289” N
4.	78° 8’ 34.369” E	29° 27’ 30.670” N
5.	78° 8’ 51.509” E	29° 24’ 34.906” N
6.	78° 8’ 59.007” E	29° 21’ 55.596” N
7.	78° 7’ 47.617” E	29° 19’ 8.815” N
8.	78° 8’ 22.568” E	29° 16’ 29.154” N
9.	78° 11’ 7.818” E	29° 15’ 13.960” N
10.	78° 13’ 37.270” E	29° 14’ 6.101” N
11.	78° 15’ 10.299” E	29° 11’ 33.342” N

12.	78° 16' 30.694" E	29° 8' 58.032" N
13.	78° 17' 6.009" E	29° 6' 13.547" N
14.	78° 16' 58.363" E	29° 3' 11.535" N
15.	78° 16' 38.550" E	29° 0' 10.544" N
16.	78° 16' 1.874" E	28° 57' 17.825" N
17.	78° 15' 19.745" E	28° 54' 21.054" N
18.	78° 14' 19.413" E	28° 51' 29.420" N
19.	78° 15' 28.448" E	28° 49' 30.712" N
20.	78° 13' 6.014" E	29° 47' 38.709" N
21.	78° 10' 33.863" E	28° 45' 58.085" N
22.	78° 7' 49.449" E	28° 44' 59.806" N
23.	78° 4' 57.560" E	28° 46' 0.718" N
24.	78° 3' 43.600" E	28° 48' 17.899" N
25.	78° 2' 37.734" E	28° 51' 5.332" N
26.	78° 1' 11.046" E	28° 53' 37.286" N
27.	78° 0' 49.857" E	28° 56' 35.273" N
28.	77° 59' 56.059" E	28° 59' 29.615" N
29.	77° 58' 30.487" E	29° 1' 50.051" N
30.	77° 58' 36.309" E	29° 4' 44.668" N
31.	77° 58' 30.151" E	29° 7' 26.219" N
32.	77° 57' 53.593" E	29° 10' 12.503" N
33.	77° 57' 58.006" E	29° 12' 54.913" N
34.	77° 58' 47.468" E	29° 15' 38.919" N
35.	77° 57' 0.920" E	29° 17' 46.874" N
36.	77° 57' 57.624" E	29° 20' 35.047" N
37.	77° 56' 24.026" E	29° 23' 3.117" N
38.	77° 55' 49.699" E	29° 25' 6.031" N
39.	77° 55' 41.429" E	29° 28' 0.908" N
40.	77° 53' 38.924" E	29° 30' 4.442" N
41.	77° 53' 11.474" E	29° 32' 3.090" N
42.	77° 53' 14.207" E	29° 34' 48.858" N
43.	77° 55' 5.865" E	29° 37' 8.400" N
44.	77° 58' 4.276" E	29° 37' 10.638" N
45.	78° 0' 37.089" E	29° 35' 56.570" N
46.	78° 3' 29.492" E	29° 36' 2.190" N

TABLE B: Geo-coordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

ID	X	Y
A.	78° 1' 59.100" E	29° 35' 0.059" N
B.	78° 4' 43.389" E	29° 34' 51.373" N

C.	78° 7’ 11.249” E	29° 33’ 12.314” N
D.	78° 8’ 13.483” E	29° 30’ 59.150” N
E.	78° 7’ 39.632” E	29° 28’ 22.382” N
F.	78° 8’ 1.746” E	29° 25’ 33.980” N
G.	78° 8’ 32.659” E	29° 22’ 51.877” N
H.	78° 7’ 36.414” E	29° 20’ 22.996” N
I.	78° 7’ 3.039” E	29° 17’ 26.750” N
J.	78° 9’ 2.320” E	29° 15’ 32.600” N
K.	78° 9’ 2.320” E	29° 15’ 32.600” N
L.	78° 13’ 52.159” E	29° 12’ 48.297” N
M.	78° 15’ 20.906” E	29° 10’ 13.619” N
N.	78° 16’ 26.772” E	29° 7’ 50.908” N
O.	78° 16’ 30.312” E	29° 4’ 49.283” N
P.	78° 16’ 13.785” E	29° 1’ 48.359” N
Q.	78° 15’ 45.544” E	28° 58’ 49.872” N
R.	78° 15’ 5.922” E	29° 56’ 1.401” N
S.	78° 14’ 20.688” E	28° 53’ 5.639” N
T.	78° 13’ 7.849” E	28° 50’ 19.759” N
U.	78° 14’ 13.738” E	28° 49’ 14.343” N
V.	78° 11’ 47.995” E	29° 47’ 26.365” N
W.	78° 9’ 10.038” E	28° 45’ 58.150” N
X.	78° 6’ 26.294” E	28° 46’ 6.383” N
Y.	78° 4’ 11.780” E	28° 47’ 38.832” N
Z.	78° 3’ 35.240” E	28° 50’ 26.358” N
AA.	78° 2’ 10.922” E	28° 52’ 52.477” N
BB.	78° 1’ 29.082” E	28° 55’ 42.633” N
CC.	78° 0’ 50.481” E	28° 58’ 36.669” N
DD.	77° 59’ 59.426” E	29° 1’ 25.806” N
EE.	77° 59’ 5.786” E	29° 3’ 35.533” N
FF.	77° 59’ 25.992” E	29° 6’ 9.497” N
GG.	77° 58’ 59.545” E	29° 8’ 34.572” N
HH.	77° 58’ 4.536” E	29° 11’ 12.542” N
II.	77° 59’ 19.264” E	29° 13’ 50.151” N
JJ.	77° 58’ 41.312” E	29° 16’ 14.958” N
KK.	77° 57’ 52.852” E	29° 18’ 40.736” N

IndiaCode

LL.	77° 58' 17.816" E	29° 21' 29.689" N
MM.	77° 56' 22.501" E	29° 23' 39.013" N
NN.	77° 56' 17.929" E	29° 26' 0.643" N
OO.	77° 55' 53.442" E	29° 28' 42.615" N
PP.	77° 53' 50.334" E	29° 30' 37.108" N
QQ.	77° 54' 2.235" E	29° 32' 39.108" N
RR.	77° 54' 23.069" E	29° 35' 10.759" N
SS.	77° 56' 31.784" E	29° 36' 51.165" N
TT.	77° 59' 20.515" E	29° 36' 13.900" N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF HASTINAPUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

District Name	**S.No.**	**Village Name**	**G.P.S. Location**					
			N			**E**		
			Degree	**Minute**	**Second**	**Degree**	**Minute**	**Second**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Meerut	**1**	Mohammad pur	29	14	17.1	77	58	57.4
	2	Mod khurd	29	13	40.1	77	58	34.9
	3	Sadar pur	29	13	34.2	77	58	31.8
	4	Bahsuma	29	12	25.3	77	57	37.5
	5	Samaspur	29	11	08.2	77	57	34.0
	6	Rehmapur	29	10	14.3	77	57	58.0
	7	Hastinapur/ Ganeshpur	29	08	56.5	77	58	17.5
	8	Nagla Chand	29	07	43.0	77	58	43.8
	9	Pali	29	07	21.2	77	59	26.5
	10	Ikbara	29	06	49.1	77	58	16.0
	11	Dariyapur	29	06	30.9	77	59	07.3
	12	Nidawli	29	05	59.2	77	58	52.2
	13	Dhuma Nagli	29	05	39.5	77	58	47.9
	14	Alipur Morna	29	05	07.5	77	58	47.6
	15	Gajrauli	29	04	52.3	77	58	40.5
	16	Akbarpur Ichchabad	29	04	08.2	77	58	39.3
	17	Humayun Pur	29	02	57.7	77	58	37.4
	18	Jay Singh Pur	29	02	34.0	77	58	36.9
	19	Agwanpur	28	59.643	-	77	59.843	-
	20	Narangpur	28	58.440	-	78	00.391	-
	21	Gesupur Sumali	28	56.257	-	78	01.393	-
	22	Gesupur Janubi	28	56.017	-	78	01.352	-

IndiaCode

	23	Mahmood Pur	28	55.587	-	78	01.441	-
	24	Aseel Pur	28	53.860	-	78	01.684	-
Bijnor	**1**	Meerapur Khadar	29	31	625	78	04	069
	2	Dayal Wala	29	31	567	78	04	255
	3	Shekhu pura	29	31	090	78	05	593
	4	Devi Das Wala	29	30	216	78	04	432
	5	Mandawar	29	29	391	78	07	458
	6	Mondiya	29	29	876	78	08	459
	7	Lalpur	29	28	616	78	07	807
	8	Layak pur	29	27	985	78	07	956
	9	Sukhanand pur	29	28	644	78	07	994
	10	Jandar pur	29	25	938	78	07	901
	11	Gajraula shiv	29	26	274	78	08	488
	12	Mandawli Saidu	29	25	623	78	07	918
	13	Jamal pur Pathani	29	25	023	78	08	015
	14	Adampur	29	23	311	78	08	727
	15	Bijnor	29	22	909	78	08	188
	16	Adarsh Nagar	29	23	311	78	08	727
	17	Bakshi wala	29	22	253	78	08	961
	18	Bukhara	29	22	363	78	08	765
	19	Jhanda pur	29	20	716	78	07	782
	20	Lakkhi Wala	29	18	310	78	07	051
	21	Dara Nagar Ganj	29	16	719	78	07	028
	22	Shahpur	29	15	988	78	08	021
	23	Mahmooda	29	15	641	78	09	189
	24	Chhachhri Teep	29	14	665	78	10	746
	25	Jhalau Leda	29	14	768	78	11	986
	26	Heempur Deepa	29	13	42.0	78	13	07.4
	27	Ratan pur Khurd	29	13	30.1	78	13	20.8
	28	SudniPur Rawti	29	12	42.7	78	13	50.5
	29	Akbar pur Tigri	29	11	12.3	78	14	36.6
	30	Rauniya	29	10	28.7	78	15	18.6
	31	Syau	29	08	48.3	78	15	46.4
	32	Chandpur	29	08	16.2	78	15	43.5
	33	Harpur	29	06	20.3	78	16	42.9
	34	Mirzapur	29	05	36.6	78	16	51.3
	35	Bagadpur	29	04	22.5	78	16	39.0
	36	Darwada	29	05	57.7	78	16	30.6
Hapur	**1**	Saidpur	28	52	22.0	78	02	37.2
	2	Kalyan Pur	28	49	45.2	78	03	22.7

IndiaCode

	3	Janpura	28	49	28.1	78	03	10.6
	4	Khilwai	28	48	42.6	78	03	33.7
	5	Dautai	28	47	57.2	78	03	18.3
	6	Allawaksh Pur	28	46	05.8	78	06	11.2
Amroha (Hasanpur Range)	**1**	Bachhrayun	28	55	50	78	14	56.6
	2	Fatte pur Chhichhra	28	54	22.03	78	14	35.02
	3	Jogipura	28	53	59.1	78	14	25.0
	4	Sakarthali	28	52	20.7	78	13	57.04
	5	Chaki Kheda	28	51	25.1	78	13	25.0
	6	Ahrola Tezvan	28	51	13.2	78	13	30.0
	7	Kripal Nath Pur	28	50	18.8	78	13	06.7
	8	Fazal Pur	28	50	17.09	78	14	04.3
	9	Gajraula	28	50	17.06	78	14	32.02
	10	Kumharpura	28	55	52.3	78	15	03.2
	11	Mohammad Pura	28	56	17.3	78	15	22.2
	12	Kamal pur Kaji	28	56	54.7	78	15	42.1
	13	Dhanaura Shahar	28	57	33.6	78	15	23.5
	14	Pattarkuti	28	58	29.2	78	15	42.5
	15	Chuchaila Kalan	29	59	51.7	78	16	09.8
	16	Rasool Pur	27	01	03.3	78	16	15.3
	17	Fadedi	29	01	49.6	78	16	25.5
	18	Mahmooda Bad	28	46	19.0	78	09	53.0
	19	Kankather	28	47	07.4	78	11	11.1
	20	Sultaan ther	28	47	45.0	78	12	08.3
	21	Khiyali Pur	28	47	43.7	78	12	08.0
	22	Nai Pura	28	48	53.1	78	13	44.4
	23	Bhartiya Gram	28	49	09.8	78	14	01.3

Muzaffar nagar	**1**	Hasam Pura	29	15	25.80	77	58	46.51
	2	Kithora	29	16	51.09	77	57	11.55
	3	Meera Pur	29	17	35.10	77	56	58.90
	4	Valipura	29	18	10.74	77	56	52.64
	5	Sikandar Pur	29	19	38.08	77	57	37.54
	6	Jadwad	29	20	50.76	77	57	51.88
	7	Katiya	29	21	39.05	77	57	20.63
	8	Tandheda Sadat	29	22	17.79	77	56	52.12
	9	Tandheda Gairabad	29	22	32.54	77	56	44.25
	10	Kakrauli	29	23	41.59	77	55	10.33
	11	Daulat pur	29	25	47.52	77	55	38.47
	12	Kakrala	29	28	22.08	77	55	24.04

IndiaCode

	13	Bhidahedi	29	27	27.75	77	55	25.12
	14	Nai Basti Maurna	29	27	45.60	77	55	35.16
	15	Athai	29	29	24.40	77	54	16.00
	16	Belda	29	30	28.48	77	52	33.23
	17	Dheerahedi	29	30	42.86	77	52	24.66
	18	Sikandar Pur	29	32	29.54	77	53	20.07
	19	Lalpur Gairabad	29	32	36.68	77	53	21.86
	20	ZindaWala	29	34	54.68	77	55	15.47
	21	Kalewal	29	35	06.78	77	54	50.93
	22	Milakpur	29	34	47.12	77	53	31.16
	23	Narayan puri	29	34	55.98	77	53	52.72
	24	Babra Gairabad	29	18	32.69	77	56	58.74
	25	Jamalpur Bangar	29	18	56.24	77	57	13.09
	26	Khokhani	29	24	19.99	77	55	26.50
	27	Raipur	29	30	07.23	77	53	07.19
	28	Nirangajani	29	31	19.07	77	52	45.94
	29	Duheli	29	34	37.27	77	53	10.45
	30	Hazipur Khadar Gairabad	29	34	36.68	77	58	28.17
	31	Almawala	29	34	21.89	77	59	58.93
	32	Majleeshpur	29	34	18.15	78	00	09.62
	33	Shahjahan pur	29	33	32.16	78	01	14.72

IndiaCode

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.25 12:44:13 +05'30'